SS
17.1.72

रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 16, 1971/आश्विन 24, 1893

No. 166] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 16, 1971/ASVINA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th October 1971

SUBJECT.—*Import of steel by actual Users (both large and small scale units) engaged in Engineering Industry during April, 1971—March, 1972.*

No. 141-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the procedure for submission of import applications for raw materials, components and spares by actual users as contained in Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1971—March, 1972.

2. It has been decided that in addition to the submission of documents already prescribed, the actual users engaged in engineering industry, who are registered exporters and require steel for export oriented production, should also furnish, along with their import applications, a statement certified by the Engineering Export Promotion Council, World Trade Centre, 14/1B, Ezra Street (3rd Floor), Calcutta-1, indicating the value for which steel is sought to be imported/released through canalising agency, and the extent to which this item is required for export production purposes. The required statement should be furnished in the proforma annexed to this Public Notice.

3. On the basis of the certificate of the Engineering Export Promotion Council, Calcutta, the sponsoring authorities and/or the licensing authorities as the case may be will accord priority to the requirements intended for export oriented production.

4. Actual users to whom release orders for steel for the period April, 1971—March, 1972 have already been issued may also furnish the required statement duly certified by the Engineering Export Promotion Council, Calcutta to the licensing authorities concerned in respect of their requirements for export oriented production out of the total value for which release orders have been issued.

ANNEXURE

Statement of requirements of steel of M/s.....

Against their import application for the period.....

1. The c.i.f. value of raw materials and components applied for as per policy. . . Rs.....

2. C.I.F. value of steel to be imported out of (1) above. . . . . Rs.....

3. C.I.F. value of steel out of (2) above required for export oriented production. . . . Rs.....

4. Complete description of steel items relating to the value referred to in (3) above.

5. End products to be manufactured out of steel referred to at (4) above.

Signature and full .....

address of the applicant.....

.....

CERTIFICATE TO BE SIGNED BY THE ENGINEERING EXPORT PROMOTION COUNCIL, WORLD TRADE CENTRE, 14/1B, EZRA STREET (3RD FLOOR CALCUTTA-1.

M/s.....are registered with Engineering Export Promotion Council as manufacturer exporter *vide* Registration No.....dated..... and the requirement of steel for export oriented production as indicated above is certified.

.....

Signature of Engineering Export Promotion Council.

Name:—

Designation:—

Date:—

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली 16 सितम्बर, 1971

विषय :—अभियांत्रिक उद्योग में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं (लघु और बृहत् दोनों एककों) द्वारा अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 के दौरान इस्पात का आयात ।

सं० 141—आई० टी० सी० (पी० एम०)/71.—अप्रैल 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) के खंड 1 में यथा निहित वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की क्रियाविधि की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि अभियांत्रिक उद्योग में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ता जो पंजीकृत निर्यातक हैं और जिन्हें निर्यात-अभिमुख उत्पादन के लिए इस्पात की आवश्यकता है पहले प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अतिरिक्त अपने आयात आवेदन पत्रों के साथ अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन परिषद्, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, 1411 बी, एजरा स्ट्रीट (तृतीय मंजिल), कलकत्ता—1 द्वारा प्रमाणित आयात । सरणीबद्ध एजेन्सी के माध्यम से रिहा किये जाने वाले इस्पात का मूल्य और निर्यात-उत्पादन-कार्यों के लिए इस मद की सीमा दर्शाते हुए एक विवरण पत्र भेजें । अपेक्षित विवरण पत्र इस सार्वजनिक सूचना में संलग्न प्रपत्र में भेजें ।

3. प्रायोजक प्राधिकारी और या लाइसेंस प्राधिकारी जैसा भी मामला हो, अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद् कलकत्ता के प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्यात-अभिमुख उत्पादन के लिए अभीष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करेगा ।

4. वे वास्तविक उपयोक्ता, जिन्हें अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए इस्पात हेतु रिहाई आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं वे भी निर्यात अभिमुख उत्पादन के लिए अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कुल मूल्य जिसके लिए रिहाई आदेश जारी किये गये हैं अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता द्वारा विधिवत् प्रमाणित अपेक्षित विवरण-पत्र सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करें ।

अनुबन्ध

..... अवधि के लिए सर्वश्री .....

..... के लिए उनके आयात आवेदन-पत्र के लिए इस्पात की जरूरतों का विवरण

1. नीति के अनुसार कच्चे माल और संघटकों के लिए किये गये आवेदन
   लिए गये लगभग आयात कीमत सकल ..... रुपये

2 उपर्युक्त (1) में से आयात किये जाने वाले इस्पात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य . . . . रुपये

3 निर्यात अभिमुख उत्पादन के लिए आवश्यक उपर्युक्त (2) में इस्पात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य . . . . रुपये

4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित मूल्य के सम्बन्ध में इस्पात मदों का पूरा ब्योरा . . . . .

5. उपर्युक्त (4) में उल्लिखित इस्पात से तैयार किये जाने वाले अन्तिम उत्पाद . . . . .

आवेदक के हस्ताक्षर और पूरे पते . . . .

. . . .

. . . .

प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्, विश्व व्यापार केन्द्र 14/1 बी, एजरा स्ट्रीट (तीसरी मंजिल), कलकत्ता–1 द्वारा किया जाना है।

सर्वश्री . . . . को इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ निर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकृत किया जाता है देखिए पंजीयन संख्या . . . . . . दिनांक . . . . और ऊपर उल्लेख किये गये के अनुसार निर्यात अभिमुख उत्पादन के लिए इस्पात की जरूरत को प्रमाणित किया जाता है

. . . .

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के हस्ताक्षर

नाम :

ओहदा :

दिनांक

SUBJECT:—*Import of crude drugs for Ayurvedic and Unani medicines by actual users for the perio April '71—March '72.*

No. 142-ITC (PN)/71.—Attention is invited to the Public Notice No. 99-ITC (PN)/71 dated the 11th August, 1971 containing the import policy of the crude drugs for manufacture of Ayurvedi and Unani medicine during April '71—March '72 period.

2. On a review of the position, it has been decided to allow the import of the following further items of crude drugs to the manufacturers of Ayurvedic and Unani medicines during the current period-April, 71—March, 72 to the extent indicated against them:—

Sl. No.	Scientfic or English name of the crude drug.	Ayurvedic and Unani name of the crude drug.	Remarks.
1	Cassia bark	Dalchini	Import will be allowed to the existing units manufacturing Ayurvedic and Unani medicines upto 5% of the face-value of the licence for Rs. 2,500/- which ever is less. Important of this item wil' not be allowed to the new units.
	Mytistica Fragrans Houtt. Nutmeg, Mace seeds, outer covering of seeds.	Jaiphala Javitri. .	Import will be allowed to the existing un ts manufacturing Ayurvedic and Unani medicines upto 5% of the face-value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less. Import of this item will not be allowed to the new units.
3	Syzygium aromaticum (linn') Merr. & L.M. perry cloves, Cloves.	Laung.	Import will be allowed to the existing units manufacturing Ayurvedic and Unani medicines upto 5% of the face-value of the licence or Rs.2 ,500/- whichever is less. Import of this item will not be allowed to the new units'
4	Arsenic disulphide Realgar. .	Manahshila Mainsil.	Import will be allowed utpto 1½% of the face value of the licence or Rs. 500/- whichever is less.

The provisions of the Public Notice No. 99-ITC(PN)/71 dated the 11th August, 1971 be deemed to have been amended accordingly.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय :—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं के लिए अपरिष्कृत औषधियों का आयात ।

संख्या 142-आई० टी० (पी० एन०)/71.—सार्वजनिक सूचना संख्या 99 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 11 अगस्त, 1971 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के दौरान आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं के निर्माण के लिए अपरिष्कृत औषधियों के आयात के लिए नीति निहित है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा कर यह निश्चय किया गया है कि अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 की वर्तमान अवधि के दौरान आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं के निर्माण के लिए अपरिष्कृत औषधियों की निम्नलिखित और मदों के आयात के लिए स्वीकृति उनके सामने संकेतित की गई मूल्य सीमा तक दी जाये :—

क्र०सं०	अपरिष्कृत औषधियों का वैज्ञानिक और अंग्रेजी नाम	अपरिष्कृत औषधियों का आयुर्वेदिक और यूनानी नाम	टिप्पणी
1	2	3	4
1	केस्सिया बार्क	दालचीनी	आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं को तैयार करने वाले वर्तमान एककों को आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत तक या 2,500 रुपये तक चाहे इनमें जो भी कम हो, दी जायेगी । इस मद के आयात की स्वीकृति नये एककों को नहीं दी जाएगी ।
2	मीस्ट्रिका एरोमेटिका होट्ट नटमेग मेस सीड्स, बीज का बाहरी आच्छादन	जयफल जावित्री	आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं को तैयार करने वाले वर्तमान एककों को आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत तक या 2,500 रु० तक चाहे इनमें जो भी कम हो दी जायेगी । इस मद के आयात की स्वीकृति नये एककों को नहीं दी जायेगी ।
3	सिजीजियम एरोमेटिकम (लिन) मेरी तथा एल० एम० पेरी क्लोव्ल क्योव्ज	लौंग	—वही—

1	2	3	4
4	आरसेनिक डिसल्फाइड रिअलगर	मनःशिला मनमिल	लाइसेंस के अंकित मूल्य के 1 1/4 प्रतिशत तक या 500/– रुपये, इनमें से जो भी कम हो, आयात की अनुमति दी जायेगी ।

3. सार्वजनिक सूचना संख्या 99–आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 11 अगस्त, 1971 की शर्तें तदनुसार संशोधित की गई समझी जायें ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971